

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक : राजहैल्थ / 2024 / स्पे0-1

दिनांक 05.05.2024

आदेश

श्री किशन सहाय कटारिया लेब टेक्नीशियन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर हाल कार्यरत जे0के0 लॉन चिकित्सालय जयपुर के विरुद्ध ब्लड बैंक से प्लाजमा चोरी करने व अवैध बेचान के संदर्भ में विभागीय जांच प्रस्तावित है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री किशन सहाय कटारिया लेब टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करते हैं।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर में होगा तथा नियमानुसार इन्हें निर्वाह भत्ता देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक : राजहैल्थ / 2024 / स्पे0-1
प्रतिलिपि -

दिनांक 05.05.2024

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 जयपुर
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-1 एवं 3) राज0 जयपुर
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, /अधीक्षक एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय जयपुर
6. अधीक्षक, जे0के0 लॉन चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करें।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर
8. सम्बन्धित निलम्बित ले0टे0 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी
9. प्रभारी अधिकारी गोपनीय अनुभाग (अराजपत्रित)
10. आदेश / रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
6984344



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.05 12:52:24 IST
Reason: Approved